

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, खण्ड प्रथम, जयपुर

सी-ब्लॉक, बेसमेन्ट, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005 (राज.), फोन : 0141-2229737

क्रमांक : 1969

दिनांक : 28/11/2025

निदेशक,
जनसम्पर्क निदेशालय,
राज0 जयपुर।

विषय:- ई-निविदा सूचना - 60/2025-26 प्रकाशित कराने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निविदा नोट (समाचार पत्रों में प्रकाशन बाबत) की सात प्रतियाँ व विस्तृत निविदा (DIPR की वेब साईट पर अपलोड करने बाबत) की दो प्रतियाँ संलग्न कर प्रकाशित कराने हेतु भिजवाई जा रही हैं। उक्त विज्ञापन को न्यूनतम स्पेस में एक बार राज्य सरकार के वर्गीकृत विज्ञापन प्रकाशन नियमों अनुसार प्रकाशित करवाने का श्रम करें।

प्रकाशन की सूचना एवं बिल तीन प्रतियों में भुगतान हेतु प्रेषित करावें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार


अधिशाषी अभियंता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
खण्ड प्रथम, जयपुर

क्रमांक: 1969

दिनांक:- 28/11/2025

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. अधीक्षण अभियंता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर द्वितीय।
3. अधिशाषी अभियंता (विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर।
4. सहायक अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर/टॉक/विद्युत को प्रेषित कर लेख है कि निर्धारित तिथियों को निविदा अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. नोटिस बोर्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
6. कन्सलटेंट आई.टी., एन. आर. एच. एम. जयपुर को विभागीय वेब साईट पर लोड करने बाबत।

UBN

1. NRH2526WS0B01709


अधिशाषी अभियंता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
खण्ड प्रथम, जयपुर

(समाचार पत्रों में प्रकाशन बाबत)

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, खण्ड प्रथम, जयपुर
सी-ब्लॉक, बेसमेन्ट, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005 (राज.), फोन : 0141-2229737

क्रमांक : 1969

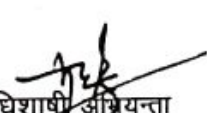
दिनांक : 28/11/2025

ई-निविदा सूचना संख्या: 60/2025-26

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत "Renovation/Strengthening of Old Building of Nursing School for MSU at Heerabag, Jaipur" कार्य हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग/ राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत अनुभवी संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट निविदाये आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बन्धित विवरण DIPR की वेब साइट www.dipronline.org, www.sppp.raj.nic.in, <http://eproc.rajasthan.gov.in> व विभागीय वेब साइट <http://rajswasthya.nic.in> पर देखा जा सकता है।

UBN

1.NRH2526WS0801709


अधिशाषी अभियन्ता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
खण्ड प्रथम, जयपुर

(वेब साईट पर अपलोड करने बाबत)

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, खण्ड प्रथम, जयपुर
सी-ब्लॉक, बेसमेन्ट, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005 (राज.), फोन : 0141-2229737

क्रमांक : 1969

दिनांक : 28/11/2025

ई-टेंडरिंग निविदा सूचना - 60/2025-26

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न स्थानों पर निविदा मय पांच वर्ष का दोष निवारण (डिफेक्ट लाइबिलिटी) अवधि के साथ उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत अनुभवी संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार में उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्माण कार्य हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा ऑन लाईन निविदाये आमन्त्रित की जाती हैं।

क. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु.लाखों में)	धरोहर राशि	निविदा शुल्क (रु. में)	कार्य को पूर्ण करने की अवधि
1	Renovation/Strengthening of Old Building of Nursing School for MSU at Heerabag, Jaipur.	60.00	120000.00	1000.00	3 माह

निविदा प्रपत्रों को वेब साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वेबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा कराए।

(अ) भवन निर्माण कार्य हेतु।

किसी भी सीमा तक :	ए ए श्रेणी संवेदक
रुपये 1000 लाख तक :	ए श्रेणी संवेदक
रुपये 500 लाख तक :	बी श्रेणी संवेदक
रुपये 150 लाख तक :	सी श्रेणी संवेदक
रुपये 30 लाख तक :	डी श्रेणी संवेदक

- वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.8(10)एफ.डी./एस.पी.एफ.सी./Misc/2022 दिनांक 27.01.2023 के अनुसार 50.00 लाख रु. तक की राशि के कार्यों के लिए 500/- रुपये, 50.00 लाख से 100.00 लाख तक के कार्यों के लिए 1500/- रुपये, 100.00 लाख से 500.00 लाख तक के कार्यों के लिए 2000/- रुपये एवं 500.00 लाख से अधिक राशि के कार्यों के लिए 2500/- रुपये मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल. की राशि निविदा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी जो कि अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खण्ड जयपुर के खाता सं. 14630100007667, बैंक ऑफ बड़ोदा, शाखा उद्योग भवन, जयपुर-302004 में RTGS/NEFT/Any other Money Transfer System (IFSC Code BARB0JAICOM) द्वारा देय होगी।
- धरोहर राशि निविदा प्रपत्र में दर्शाई गयी कुल अनुमानित लागत की दो प्रतिशत होगी। निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खण्ड जयपुर के खाता सं. 14630100007667, बैंक ऑफ बड़ोदा, शाखा उद्योग भवन, जयपुर-302004 में RTGS/NEFT/Any other Money Transfer System (IFSC Code BARB0JAICOM) द्वारा देय होगी।
- निविदा डाउनलोड, अपलोड, खोलने एवं दस्तावेज जमा कराने आदि की तिथि व स्थान निम्नानुसार रहेगा :-
अ निविदा प्रपत्र डाउनलोड की अवधि दिनांक गुरुवार 4 दिसम्बर 2025 समय प्रातः 9:00 बजे से शुक्रवार 12 दिसम्बर 2025 सांय 6:00 बजे तक होगी।
ब निविदा शुल्क/धरोहर राशि/आर.आई.एस.एल. के देय शुल्कों की राशियां निविदा प्राप्ति की दिनांक तक जमा कराया जाना सुनिश्चित करावे एवं जमा के साक्ष्य (Payment Transfer Advice/Receipt/Screenshot etc.)/अन्य वांछित दस्तावेज वेब साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर ही अपलोड किये जाने हैं। अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खण्ड जयपुर कार्यालय में कोई भी दस्तावेज जमा/स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
स निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वेब साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर शुक्रवार 12 दिसम्बर 2025, सांय 6:00 बजे तक अपलोड कराये जा सकते हैं एवं प्राप्त निविदाये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वेब साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खण्ड जयपुर के कार्यालय में दिनांक सोमवार 15 दिसम्बर 2025 को प्रातः 11:00 बजे से ऑनलाइन ही खोली जायेगी।
द निविदा प्रपत्र अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खण्ड जयपुर कार्यालय में संवेदक द्वारा कार्यालय समय में गुरुवार 4 दिसम्बर 2025 समय प्रातः 9:00 बजे से शुक्रवार 12 दिसम्बर 2025 सांय 6:00 बजे तक देखा जा सकता है अथवा वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर भी देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्रों में निविदाकर्ता के लिये योग्यता सूचना तथा निविदाकर्ता की पात्रता, प्लान, स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग, विभिन्नकार्यों की मात्रा एवं दरों का विवरण, नियम, शर्तें एवं अन्य विवरण वर्णित हैं।
- निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिनों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (Open) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है तो उसकी धरोहर राशि जफ्त कर ली जायेगी।

5. यदि सवेदक का नजदीकी निवेदक (प्रथम रजत सम्बन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से सम्बन्धित मूल अध्या अप्रामाण्य कार्यालय में खण्डित लेखाकार अध्या सहायक अधिकारी से लेकर अप्रामाण्य अधिकारी स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
6. राज्य सरकार में किसी भी अधिकारी/अधिकारी विभाग में किसी भी इन्जिनियर अध्या इन्जिनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजस्थान अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवा नियुक्ति के 2 वर्ष तक सवेदक अध्या उसके कार्यकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकते। यदि सवेदक अध्या उसके कार्यकारी में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अध्या सवेदक के यहाँ सेवा लेने से पहले अनुमति नहीं दी है तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकता।
7. निविदादाता इन प्रपत्रों को Download कर सकते हैं। निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क की राशि अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खण्ड जयपुर के खाता सं. 14630100007667, बैंक ऑफ़ बड़ोदा, शाखा उद्योग भवन, जयपुर-302004 में RTGS/NEFT/Any other Money Transfer System (IFSC Code BARB0JAICOM) द्वारा जमा राशि जमा के साक्ष्य (Payment Transfer Advise/Receipt/Screenshot etc.) वेब साइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर ही अपलोड किये जाने हैं। अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खण्ड जयपुर कार्यालय में कोई भी दस्तावेज जमा/स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
8. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित हैं। अतः पी डब्ल्यू ए-100 की समस्त शर्तें मान्य होगी।
9. सवेदक द्वारा उक्त कार्य के लिये निर्धारित मशीनरी/शटरिंग जो निविदा की स्पेशल कंडीशन में वर्णित है, को स्वयं के पास होने या किराये पर लेने का प्रमाण पत्र देना होगा।
10. कार्य पूर्ण करने की अवधि में मानसून अवधि शामिल है।
11. कार्य का दोष निवारण एवं उनके सुधार का उत्तरदायित्व कार्य पूर्णता के पश्चात् राज्य सरकार के नियमानुसार रहेगा।
12. ई-टेंडरिंग के लिये निविदादाता हेतु निर्देश
 - अ. इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रों को इन्टरनेट साइट "<http://www.eproc.rajasthan.gov.in>" से डाउनलोड (Download) कर सकते हैं।
 - ब. निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साइट "<http://www.eproc.rajasthan.gov.in>" पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट - 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
 - स. निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा जिनके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होंगे उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फॉर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
 - द. ऑन लाइन निविदाएँ निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जायेंगी।
 - य. इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी है।
 - र. कोई भी टेंडर इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसके लिए यह विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
 - ल. टेंडर के प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाइन दर्ज करें।
 - व. इलेक्ट्रॉनिकली जमा निविदाएँ निर्धारित दिनांक एवं समय को ऑन लाइन ही खोली जायेंगी तत्पश्चात् प्राप्त निविदाओं के आवश्यक बांछित दस्तावेजों एवं शुल्कों की प्राप्ति अनुसार ही निविदाओं का मूल्यांकन कर योग्य निविदाओं का निर्धारण किया जायेगा।
13. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा शुल्क एवं घोहर राशि तथा आर.आई.एस.एल. की देय राशि, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड जयपुर के बैंक खाते में जमा के साक्ष्य की प्रति के साथ रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं Permanent (REG 06) जी.एस.टी. का प्रमाण पत्र की प्रतियां वेब साइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर निर्धारित दिनांक तक अपलोड करना आवश्यक है। मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक 2028 दिनांक 14.12.2021 अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग के रजिस्ट्रीकरण जिनका रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा पुनरावलोकन आवश्यक है, उनका पुनरावलोकन पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है अन्यथा निविदा अमान्य होगी। अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खण्ड जयपुर कार्यालय में कोई भी दस्तावेज जमा/स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
14. "Appropriate action as per RTPP Act / Rules shall be taken against the bidders who will not deposit the Bid security / Tender fee / RISL charges after uploading the bid on e-proc portal."
15. समस्त निविदादाताओं द्वारा निविदादाता फॉर्म के लैटरहेड पर, कार्य के लिए जमा कराई गई बिड सिक्योरिटी राशि के रिफण्ड एवं अन्य भुगतानों हेतु संलग्न निर्धारित प्रारूप-1 में विस्तृत बैंक विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है। निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

यदि किसी कारणवश निविदा खोलने वाले दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदाएँ खोली जायेंगी। निविदा खोलने की तिथि को, किसी कारण वश यदि सारी निविदाएँ नहीं खोली जा सकती हैं तो उसके अगले कार्य दिवस शेष निविदाएँ खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा। पोस्ट क्वालिफिकेशन में रैसपोन्सिव निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोलने की सूचना निविदादाताओं को ई-मेल से दी जावेगी।

निविदा जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑन लाइन होगी।

UBN

1. NRH2526W50B01709

अधिशासी अभियन्ता

चि. एवं स्वा., खण्ड प्रथम, जयपुर